न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –171/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/000320

सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

1. नाथू आत्मज रामा चमार मृतक जरिये का0मु0–
1/1 बगदूराम आत्मज नाथू
1/2 बीरमलाल आत्मज नाथू
1/3 रंगलाल आत्मज नाथू
1/4 ग्यारसीबाई पत्नि नाथू
1/5 सुगनाबाई पुत्री नाथू
जाति चमार निवासी हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) आवंटन निरस्त करने ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री अंसार अहमद, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 व 5

निर्णय

दिनांकः– 15/04/2026

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी नाथू आत्मज रामा जाति चमार निवासी जुल्मी को ग्राम हरिपुरा की आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 1.62 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नाथू फोत होने पर कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लिये गये । कायम मुकामान को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त । कब्जा सम्बन्धी मौका रिपोर्ट प्राप्त । अप्रार्थी नं0 1 व 5 की ओर से अभिभाषक श्री अंसार अहमद का वकालतनामा पेश हुआ, शेष बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी नं0 2,3,4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई । वकील रेसपोडेन्ट नं0 1 व 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी आवंटी को ग्राम हरिपुरा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 1.62 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है तथा उनके द्वारा कब्जा काश्त करना साबित नहीं कर पाए है । तहसीलदार

रामगंजमण्डी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.8.2025 अनुसार भी अप्रार्थीगण का कब्जा
काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति लेखराज पुत्र देवीलाल धाकड़, सुन्दरलालपुत्र चैनराम
जाति धाकड़, रमेश पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा, रामनारायण परमानन्द, रामकरण पुत्र
लालचंद निवासी हरिपुरा का कब्जा काश्त होना बताया है । अतः अप्रार्थी द्वारा
आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से
तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में
किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है ।

4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि उक्त आवंटित आराजी
पर आवंटन के पश्चात से जब तक नाथू जिन्दा रहा वह काबिज काश्त रहा है और
वर्तमान में उसके वारिसान अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है ।
अप्रार्थीगण द्वारा पूर्णरूप से आवंटन नियमों की पालना की जा रही है, इस कारण
किसी प्रकार से अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्त योग्य नहीं है । अप्रार्थी के विरुद्ध
माननीय न्यायालय में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी की ओर से उक्त भूमि के
आवंटन का निरस्त करने बाबत 14(4) का प्रार्थना पत्र दिया जिसको माननीय
न्यायालय द्वारा तथ्य वस्तुस्थितिहीन मानकर दिनांक 11.3.2010 को खारिज किया जा
चुका है तथा पुनः प्रार्थी द्वारा उन्हीं तथ्यों को आधार मानकर पुनः यह प्रार्थना पत्र पेश
किया है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है । अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।
अप्रार्थी आवंटी को ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 265 रकबा
1.62 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि
पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार
रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है ।
अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कब्जा काश्त करना
बताया है किन्तु कब्जा काश्त करने की पुष्टि में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ।
तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.8.2025 अनुसार आवंटित भूमि पर
आवंटी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है अपितु अन्य व्यक्ति लेखराज पुत्र देवीलाल
धाकड़, सुन्दरलाल पुत्र चैनराम जाति धाकड़, रमेश पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा,
रामनारायण परमानन्द, रामकरण पुत्र लालचंद निवासी हरिपुरा का कब्जा काश्त होना
जाहिर आया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में
आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है । अप्रार्थी
द्वारा पूर्व में अति0 जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 11.3.2010 की प्रति प्रस्तुत
कर पूर्व में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का तथ्य
अंकित किया है, किन्तु पूर्व में तहसीलदार द्वारा यह स्पष्ट नहीं कराया था कि वास्तव
में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त किसका है, वर्तमान रिपोर्ट अनुसार आवंटित
भूमि पर काश्त हो रही है किन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है ।
आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है । ऐसी स्थिति में आवंटी
अप्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से आवंटन निरस्त योग्य पाते
है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)
स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर
265 रकबा 1.62 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जाने से आवंटन
शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि
आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि
उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा